न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

सत्र वाद संख्या–56 / 2020
मुकदमा अपराध सं0–144 / 2019
सरकार बनाम झामा गौड़ उर्फ धर्मेन्द्र
धारा–8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–भटनी, जिला–देवरिया।

27.10.2021

पत्रावली पेश हुई। सत्र परीक्षण पुकारा गया। अभियुक्त झामा गौड़ उर्फ धर्मेन्द्र न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय उपस्थित आया। राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का आवलोकन किया गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया एवं अभियोजन अभिलेखों को सन्दर्भित किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र में अंकित साक्षीगण को जरिये सम्मन दिनांक–12.11.2021 के लिये तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष इस सम्बंध में आवश्यक पैरवी करें।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–27.10.2021
विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया

सत्र वाद संख्या–56/2020
मुकदमा अपराध सं0–144/2019
सरकार बनाम झामा गौड़ उर्फ धर्मेन्द्र
धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–भटनी, जिला–देवरिया।

आरोप

मैं, लोकेश कुमार अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश,(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया, आप अभियुक्त **झामा गौड़ उर्फ धर्मेन्द्र** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1–यह कि दिनांक–12.10.2019 को समय 12:40बजे जब एस0एच0ओ0 अश्वनी कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा स्वाट प्रभारी संतोष यादव से जरिये मुखबिर प्राप्त सूचना के आधार पर थाना खामपार व अन्य पुलिस टीम के साथ केरवनिया पुल के बाये तरफ बंधे पर पहुंचकर आपको अन्य सहअभियुक्तगण के साथ पकड़ा गया तथा जामा तलाशी के दौरान आप अभियुक्त के पहने हुए पैंट की बायी जेब से काली पालीथिन में रखा हुआ गुलाबी कलर का अपमिश्रित नशीला पाउडर अल्प्राजोलम जिसका वजन 80ग्राम था बरामद किया गया। जिसको रखने के सम्बंध में आपके पास कोई प्राधिकार नहीं था। आपका उक्त कृत्य भा0दं0सं0 की **धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के अधीन दण्डनीय है तथा जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–27.10.2021 विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

अभियुक्त का प्रतिकथन–

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा उसके द्वारा विचारण की मॉग की गयी।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–27.10.2021 विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

Digitally signed by Lokesh Kumar
Date: 2021.10.27 15:30:34 IST
Reason: Charge order
Location: District and Sessions Court